न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.146 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 235)	02.12.2024	25.02.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

शंभूदयाल दत्तकपुत्र पन्नालाल जाति बाबाजी नाथ,
निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी पन्ना नाथ को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1736 / 1164 रकबा 2.8490 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 146 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024 / 235 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर पत्थर का स्टॉक (मुक्कसर) पडे हुये है। इस प्रकार आवंटी तथा वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि पन्नानाथ आ. माधोनाथ जाति बाबाजी निवासी डाबी को दिनांक 26.10.77 को भूमि खसरा सं.1164 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1736/1164 रकबा 2.8490 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 06.11.24 में मौके पर ऑनलाईन तरमीम के अनुसार लगभग 1.50 हैक्टेयर भूमि पर पत्थर का स्टॉक (मुक्कसर) पड़े हुए है, जिसके बाउण्ड्री हो रखी है, साथ ही लगभग 0.32 हैक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है, तथा शेष भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त भूमि में से अन्दर खेतों में जाने हेतु कच्चा रास्ता बना हुआ है, जो वर्तमान में चालू है। आवंटित भूमि पर गैर खातेदार कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं है, अंकित है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पन्नानाथ वल्द माधोनाथ को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 1164 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम डाबी (हाल खसरा संख्या 1736/1164 रकबा 2.8490 हैक्टेयर) दिनांक 26.10.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)